(3) उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी के पिता स्व. [illegible] के नाम एक कृषि भूमि खसरा नम्बर 1.15 हैक्टेयर है जो कि प्रार्थी के पिता के नाम से पंजीकृत है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु दिनांक 10.9.19 को हो गई। प्रार्थी के पिता के वारिसान में प्रार्थी के अलावा [illegible] है। प्रार्थी के पिता के वारिसान में से किसी ने भी अपने हक में कोई वसीयत नहीं की है। प्रार्थी के पिता के वारिसान में से किसी ने भी अपने हक में कोई वसीयत नहीं की है।

प्रार्थी